अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2004

का.आ. 513 (अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 20 सितम्बर,2001 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 901 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने सेवासंघ सार्वजनिक हॉस्पिटल ट्रस्ट, मोडसा-383315,जिला साबरकान्था, गुजरात द्वारा मोडसा, जिला साबरकान्था, गुजरात में स्थापित हस्पताल की नई इमारत के निर्माण, ब्लड बैंक,चिकित्सा पुस्ताकलय, साज-सज्जा तथा उपस्करों, किताबों, प्रोजक्टर आदि की खरीद और हस्पताल को चलाने की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से आरम्भ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 2 पर विनिर्दिष्ट किया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि आर्थिक और सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है,इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम की अनुमोदित लागत को 50.00 लाख रू0 की कार्पस निधि सहित 98.00 लाख रू0 से संशोधित करके 50.00 लाख रू0 की कार्पस निधि सहित 276.20 लाख रू0 करती है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर नियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

(क) एतद्द्वारा सेवासंघ सार्वजनिक हॉस्पिटल ट्रस्ट, मोडसा-383315,जिला साबरकान्था, गुजरात द्वारा मोडसा, जिला साबरकान्था, गुजरात में स्थापित हस्पताल की नई इमारत के निर्माण, ब्लड बैंक,चिकित्सा पुस्तकलय, साज-सज्जा तथा उपस्करों, किताबों, प्रोजक्टर आदि की खरीद और हस्पताल को चलाने की परियोजना या स्कीम को विनिर्दिष्ट करती है;और

(ख) दिनांक 20 सितम्बर,2001 की अधिसूचना सं0 सा0आ0 901 (अ0) में आगे निम्नानुसार संशोधन करती है, नामतः

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं0 2 के कॉलम (4) में अनुज्ञात की गई अधिकतम लागत से संबंधित अक्षर, आंकड़े और शब्द 50.00 लाख रू0 की कार्पस निधि सहित 98.00 लाख रू0 के स्थान पर अक्षर, आंकड़े और शब्द 50.00 लाख रू0 की कार्पस निधि सहित 276.20 लाख रू0 प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[फा.सं. 139-2004/फा. सं. एन. सी. 395/2003]

सुनील शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)